कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 5371 / 14–1 ,आगरा, दिनांक, 20 ,जून, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषय :– आगरा में अबन्तीबाई चौराहा से रोहता नहर तक (आगरा–ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दरीकरण के कार्य में 2.45 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 317 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक–4327 / 14–1 दिनांक 12.06.2017

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उक्त विषयक प्रस्ताव के अवलोकन पर निम्न त्रुटियॉ पाई गई हैं, जिन्हें तत्काल सही कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें :–

1– पेज सं0–9 पर संलग्नक मक डिस्पोजल निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
2– पेज सं0–17, 18, एवं 19 पर मुहर नहीं लगाई गई है।
3– पेज सं0–20 पर जिलाधिकारी का नाम व मुहर नहीं लगी है एवं डी0एस0डब्ल्यू0ओ0 की मुहर अंकित नहीं है।
4– पेज सं0–23, 24 पर मुहर नहीं है।
5– पेज सं0–42, 45 व 46 पर मुहर नहीं लगी है।

अतः प्रेषित प्रस्ताव को मूल में संशोधन हेतु वापस किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव का परीक्षण करके यदि और कोई त्रुटि हो तो उसे भी सही कर प्रस्ताव वापस करें।

संलग्नक :–यथोपरि 04 प्रति में।

भवदीय,

(पी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।
20/6

पत्रांक 5371 / दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0पी0 सिंह) 20/06
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।
20/6/17

350
D/Chauhan letter 2016